न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2021-219RAAJodhpur2021-83RTA223 Shrawanlal Vs Hapuram etc

श्रवणलाल पुत्र जवरीलाल जाति माली, निवासी- नयापुरा सुभाष कॉलोनी, पीपाड़ शहर, तहसील पीपाड़ शहर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. हापुराम पुत्र चिमनाराम
2. जेठाराम पुत्र चिमनाराम
3. भंवरलाल पुत्र पेमाराम
4. जवरीलाल पुत्र पेमाराम
5. सोनाराम पुत्र हापुराम
6. श्रीराम पुत्र हापुराम

सभी जातियान माली, निवासीगण- फाटक वाला बेरा, पीपाड़ शहर, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

7. गीता पत्नी हुकमाराम पुत्री हापुराम जाति माली, निवासी- भोमाजी का बेरा पीपाड़ शहर, तहसील पीपाड़ शहर।
8. सायती पत्नी पप्पुराम पुत्री हापुराम, जाति माली, निवासी- नवोड़ा बेरा, पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर।
9. हसिया पत्नी गोबरराम पुत्री हापुराम जाति माली, निवासी- नवोड़ा बेरा, पीपाड़ शहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02 जुलाई 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर राजस्व मूल वाद संख्या 62/2021 श्रवणलाल बनाम हापुराम इत्यादि

उपस्थित-

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 01, 06, 07 व 09
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 10

नि र्ण य

दिनांक : 14 फरवरी 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 62/2021 श्रवणलाल बनाम हापुराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 जुलाई 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 09 जुलाई 2021 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर डिक्री पर्चा की प्रति पेश करने में छूट प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1985 रकबा 2.2086 हैक्टेयर ग्राम पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर के संबंध में रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध पेश किया। वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी होना बताते हुए अपने 1/90 हिस्से बाबत अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 5, 6, 7 व 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर वादी के वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ओदश 7

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नियम 11 स्वीकार कर वादी का वाद दिनांक 02 जुलाई 2021 को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादपत्र में हिस्सा गलत लिख देने तथा पक्षकार संयोजित नहीं करने से वादी का दावा खारिज नहीं किया जा सकता है। माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक बार निर्णय पारित किया है कि तकनीकी के आधार पर किसी व्यक्ति को न्याय सें वंचित नहीं किया जा सकता है। आलौच्य आदेश को कायम रखने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी एवं उसके साथ अन्याय होगा एवं न्यायालय की प्रक्रिया का हनन होगा। पक्षकारों के बीच पैतृक सम्पति का विवाद है। प्रार्थी को शहादत का अवसर नहीं दिये जाने से वह बिना सुनवाई के अपनी पैतृक खातेदारी भूमि से वंचित हो जायेगा, जिससे उसकी आजीविका का साधन समाप्त हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी अधिकारिता का सही उपयोग नहीं कर अपनी अधिकारिता का उपयोग करने में अवैधता एवं सारभूत अनियमितता बरती गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे की कार्यवाहियॉ में भारी अननियमितता बरती गयी है। तारीख पेशी दिनांक 24.06.2021 को प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया, जिसका वादी को काई जवाब का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा प्रतिवादीगण की बहस सुनकर दिनांक 02.07.2021 को वादी का दावा खारिज कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनियमित कार्यवाही कर बिना अपीलांट को प्रार्थना पत्र का जवाब का अवसर प्रदान किये एकतरफा बहस सुनकर दावा खारिज कर दिया जो आदेश विधि विरुद्ध व शून्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होने से अपास्त योग्य है। वादी का वाद पैतृक भूमि होने के आधार पर तथा काबिज होने के आधार पर घोषणा खातेदारी के लिए पेश किया गया है। घोषणा खातेदारी का दावा सुनने का क्षेत्राधिकार केवल राजस्व न्यायालय को ही है। महत्वपूर्ण विधिक बिंदु को नजर अंदाज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूल की गई है। वादी श्रवणलाल चिमनाराम का पड़पोता तथा हापुराम का पोता होने से उनकी भूमि में पैतृक खातेदारी भूमि में उनका जन्म से अधिकार निहित है। इस प्रकार वादी की अपनी पैतृक खातेदारी भूमि में अपने खातेदारी हक हकूकों का निर्धारण करने हेतु राजस्व वाद को पेश किया गया है, जिसका निस्तारण केवल साक्ष्य सबूतों के आधार पर ही किया जा सकता है, जो दावा किसी भी कानून से बाधित नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से बिना आधार का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो केवल इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा आर.आर.टी. 2018(1) पेज 489 दरबारसिंह बनाम गुरुदेवसिंह के निर्णय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों बाबत कानूनी तनकीयात कायम कर उस पर उभय पक्षकारान् को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करने का आदेश दिया है। अतः वादी द्वारा पेश किया गया घोषणा खातेदारी का दावा किसी भी विधि से बाधित नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि क विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज करने के पश्चात डिक्री पर्चा जारी नहीं किया है, इसलिए अपीलांट डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं कर सका। अतः अपील में डिक्री पर्चा पेश करने की छूट प्रदान करावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02 जुलाई 2021 को खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मय खर्चा खारिज करने का आदेश फरमावे तथा वादी का दावा शहादत सबूत लेकर निर्णय करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपने दावे में वादग्रस्त भूमि के समस्त खातेदारान् जो आवश्यक पक्षकार है, उन्हें वाद में पक्षकार ही संयोजित नहीं किया है। अतः वादी का वाद पक्षकारान् के कुसंयोजन के आधार पर चलने योग्य नहीं है। वादी द्वारा अपने दावा के जीवित रहते पुश्तैनी भूमि बाबत दावा पेश किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की समुचित सुनवाई कर विधिसम्मत रूप से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2022(2) आर.आर.टी. पेज 1047 की न्यायिक नजीरे पेश की।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर निर्णय पारित करना उचित समझते है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने के पश्चात डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पर्चा जारी नहीं गया है। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विचारण न्यायालय के निर्णय के अंतिम पद को डिक्री पर्चा समझा जावे।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय में वादी द्वारा अपने वाद में प्रस्तुत सजरा खानदान में अपने चार अन्य भाईयों यथा- श्यामलाल, दिनेश, विनोद एवं शेरसिंह के नाम बताये है, जिन्हें वाद में पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया है। चूंकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पुश्तैनी भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा का है तथा इस परिप्रेक्ष्य में उनके भाई भी आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार है। अघतन राजस्व रेकर्ड के अवलोकन मुताबिक वादग्रस्त आराजी अपीलांट के दादा श्री हापूराम के नाम से 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वकील रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर2022(2) आर.आर.टी. पेज 1047 में उद्धरित है कि ''**वादी अपने पिता के जीवनकाल में संपति में किसी अधिकार या स्वत्व का हकदार नहीं है- सम्पति पिता के नाम दर्ज नहीं हुई है और दादा अभी जीवित है।**'' हस्तगत प्रकरण में भी वादी ने अपने पिता के जीवनकाल में खातेदारी घोषणा का दावा प्रस्तुत किया है तथा वादग्रस्त आराजी वादी के पिता के नाम से दर्ज नहीं हुई है एवं वादी के दादा हापुराम वर्तमान में जीवित है। इन परिस्थितियों में प्रस्तुत न्यायिक नजीर के तथ्य हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में कोई त्रुटि नहीं पाये जाने एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 62/2021 श्रवणलाल बनाम हापुराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 जुलाई 2021 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.2.2023

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
श्रवणलाल पुत्र जवरीलाल जाति माली, निवासी- नयापुरा सुभाष कॉलोनी, पीपाड़ शहर, तहसील पीपाड़ शहर।	ब ना म	1. हापुराम पुत्र चिमनाराम 2. जेठाराम पुत्र चिमनाराम 3. भंवरलाल पुत्र पेमाराम 4. जवरीलाल पुत्र पेमाराम 5. सोनाराम पुत्र हापुराम 6. श्रीराम पुत्र हापुराम सभी जातियान माली, निवासीगण- फाटक वाला बेरा, पीपाड़ शहर, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर। 7. गीता पत्नी हुकमाराम पुत्री हापुराम जाति माली, निवासी- भोमाजी का बेरा पीपाड़ शहर, तहसील पीपाड़ शहर। 8. सायती पत्नी पप्पुराम पुत्री हापुराम, जाति माली, निवासी- नवोड़ा बेरा, पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर। 9. हसिया पत्नी गोबरराम पुत्री हापुराम जाति माली, निवासी- नवोड़ा बेरा, पीपाड़ शहर। 10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02 जुलाई 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर राजस्व मूल वाद संख्या 62/2021 श्रवणलाल बनाम हापुराम इत्यादि

दावा बाबत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

यह अपील बतारीख 14 फरवरी 2023 बहाजरी अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी मिनजानिब अपीलाण्ट एवं श्री सिद्धार्थ परिहार मिनजानिब रेस्पो एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 62/2021 श्रवणलाल बनाम हापुराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 जुलाई 2021 को यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 14 फरवरी 2023 को जारी किया गया।

14.2.2023
(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

14.2.2023
(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर